

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

उरी

बनाम

रतन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 191/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>उरी</u></p> <p>पिता श्री <u>एल्ला गुजर</u></p> <p>निवासी- <u>उरपुरा वॉरह (11)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>उरपुरा (प.ए.उरपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>166, 170, 175, 197, 200</u> क़ीता <u>5 रकबा 1.6000</u> हे. आ.जं. <u>167, 168, 200/491</u> क़ीता <u>3 रकबा 0.7300</u> हे. कुल क़ीता <u>5+3=8</u> कुल रकबा <u>2.3300</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>उरपुरा (प.ए.उरपुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>166, 170, 175, 197, 200</u> क़ीता <u>5 रकबा 1.6000</u> आराजी नम्बर <u>167, 168, 200/491</u> क़ीता <u>3 रकबा 0.7300</u> कुल क़ीता <u>5+3=8</u> रकबा <u>2.3300</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1.500 = 00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पचास</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सम्पन्न खरीदार) सहायक कलेक्टर फर्द उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>